राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4400/2024

संतोष कुमार मीना पुत्र श्री महावीर प्रसाद मीना, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी वीपीओ चितावा, तहसील केशोराय पाटन, जिला बूंदी (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय) जिला ब्यावर, राजस्थान।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय) जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।

---प्रतिवादी

एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 3952/2024

पप्पू लाल पुत्र श्री झूमर राम मूंड, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी वीपीओ

शिव वाया कुकनवाली, तहसील कुचामन सिटी जिला कुचामन। (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

3. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जिला नागौर राजस्थान।

4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान।

---प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4366/2024

मगन सिंह पुत्र श्याम सिंह, आयु लगभग 43 वर्ष, श्याम भवन, गुलाब सागर, बच्चा गली, पिपली चौक, जिला जोधपुर (राजस्थान)

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला बाड़मेर।

4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला बालोतरा

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री रामदेव पोटलिया

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री हेमंत चौधरी

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

10/05/2024

1. याचिकाकर्ताओं की शिकायत 20.01.2024, 24.01.2024 और 08.02.2024 (अनुलग्नक 8 और 9) के आदेशों से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत प्रतिवादी-विभाग ने नवगठित जिलों में समायोजन/स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए विकल्प मांगे थे और इस शर्त के अधीन थे कि उनके विकल्प स्वीकार किए जाने की स्थिति में वे वरिष्ठता खो देंगे।

2. संक्षेप में बताएं कि मामले के तथ्य यह हैं कि राज्य सरकार ने नए जिले बनाए। जिलों के पुनर्गठन के दौरान, संबंधित जिला कलेक्टरों ने नए कार्यालयों के पुनर्गठन के लिए कार्यालय कर्मचारियों से विकल्प पत्र आमंत्रित किए। पसंद के अनुसार समायोजन/स्थानांतरण के लिए विकल्प पत्रों में वरिष्ठता में कमी की शर्त भी शामिल थी। इसलिए, ऐसी शर्त के खिलाफ ये याचिकाएँ।

3. उत्तर में बचाव पक्ष यह है कि जब भी पदधारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन किया जाएगा, तो उससे पहले विकल्प फॉर्म आमंत्रित किए जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वरिष्ठता और मानदंडों के

अनुसार पदस्थापन प्रदान किया जाएगा। उत्तर का प्रासंगिक पैरा नीचे दिया गया है:-

> ".15..... बल्कि, इस पैरा में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे उत्तर देने वाले प्रतिवादी के इस रुख की पुष्टि करते हैं कि जब भी पदाधिकारियों का स्थानांतरण/तैनाती की जाएगी, तो उसके पहले विकल्प फार्म आमंत्रित किए जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वरिष्ठता और मानदंडों के अनुसार नियुक्ति की जाएगी।"

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए, मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने एक ओर तो सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध करके अपनी इच्छा से अपना जिला बदलने की मांग की। दूसरी ओर, उक्त अनुरोध स्वीकार किए जाने पर, अब वे इस हद तक पलट गए हैं कि वे प्राधिकारी से यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका जिला परिवर्तन प्रशासनिक आवश्यकता के कारण हुआ है। कारण जानने की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता जिला संवर्ग के पद पर कार्यरत हैं। यदि किसी अधिकारी के अनुरोध पर जिला परिवर्तन होता है, तो लागू नियमों के अनुसार, ऐसा अनुरोध करने वाले अधिकारी को पिछले जिले की अपनी वरिष्ठता छोड़नी होगी। उसे नियमों के अनुसार उस जिले में नई वरिष्ठता प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें उसे स्थानांतरित किया गया है।

6. मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि नियमों का उल्लंघन करते हुए परमादेश क्यों जारी किया जाए। नियमों को यहां चुनौती नहीं दी गई है।

7. तथापि, मैं यह कहना चाहूंगा कि सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि नए जिलों के गठन के मद्देनजर, कर्मचारियों का स्थानांतरण, जहां तक संभव हो, मानवीय आधारों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कर्मचारी पहले से ही नए गठित जिले के क्षेत्र में आते हैं, उन्हें उन्हीं क्षेत्रों में समायोजित किया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों के अनावश्यक स्थानांतरण से बचा जा सके।

8. कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के स्थानांतरण से कर्मचारियों पर वित्तीय बोझ कम होगा, जिन्हें इसके लिए मुआवजा दिए बिना स्थानांतरित होना पड़ता है।

9. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।